(12)

संख्या-348 / III(2)/09-17(एम0एल0ए0)/08

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 2 मार्च, 2009

विषय:-- वित्तीय वर्ष 2008-09 में 29 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या-4024/24 याता0-पर्व0/2008 दिनांक 18-08-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 द्वारा उपलब्ध कराये 29(उनन्तीस के लागत कुल रूपये 1976.61 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1830.61 लाख (रूपये अठारह करोड़ तीस लाख इक्सठ हजार मात्र) की धनराशि को उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 1.45 लाख (रू0 एक लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

जो मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है उन मार्गो को संबंधित विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कराने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाय और कार्य के शासनादेश संख्या-4042/III(2)/24(बजट)/2008 दिनांक 11-12-08 के मानक से आच्छादन की पुष्टि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग में प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यावर्तन न किया जाय।

Photo copy
Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
ऋषिकेश (देहरादून)

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की [illegible] भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक [illegible] सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

18. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

19. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1010/XXVII(2)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 29 कार्यो की सूची।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

<u>संख्याः- 348 (1)/III(2)/09-17(एम0एल0ए0)/08, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो.नि.वि., पौडी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

Photo copy
Attested
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
ऋषिकेश (देहरादून)

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–348/111(2)/09–17(एम0एल0ए0)/08, दिनांक 2 मार्च, 2009 का संलग्नक।

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3			6
1.	देहरादून के अन्तर्गत गुमानीवाला व ग्राम सभा भुट्टोवाला के मध्य टोनिया नामक स्थान पर स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	24 मी0	62.87	62.87	0.05
2.	ग्राम सैबूवाला (भालकोट) ग्राम सभा सिंधवाल गॉव में झूला [illegible] निर्माण	36 मी0	55.80	54.76	0.05
3.	जनपद देहरादून ग्राम सभा बडेरना में उदालना नदी पर 35 मी0 स्पान स्टीज गर्ड सेतु का निर्माण तथा 2 किमी0 लम्बी सड़क का नव निर्माण एंव पुनः निर्माण एंव सुधार	02.00 + 35 मी0	192.10	183.15	0.05
4.	घातक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु श्यामपुर ऋषिकेश बाईपास मार्ग के तहसील चौराहे का चौड़ीकरण एंव सुधार आदि का कार्य	-	120.00	115.31	0.05
5.	जनपद देहरादून में विधान सभा ऋषिकेश में धारकोट से तलाई हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग बनाकर मार्ग का पुकनः निर्माण एंव सुधार	04.00	108.00	108.00	0.05
6.	ग्राम सभा तलाई से कटकोट भूमाल देवता होते हुए धारकाकेट ए0एन0एम0 सेन्टर तक मोटर मार्ग का निर्माण	06.00	210.00	210.00	0.05
7.	जनपद देहरादून में ग्राम सभा श्यामपुर के अन्तर्गत कच्ची सड़कों का पुनःनिर्माण एंव सुधार तथा नालियों का निर्माण	05.00	149.00	100.00	0.05
8.	भानियावाला विस्थापित क्षेत्र में ग्राम अठूरवाला की सड़कों का विस्तारीकरण	09.00	135.76	129.12	0.05
9.	ग्राम बडासी हेतु मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य	05.00	100.00	100.00	0.05
10.	श्यामपुर लक्कडघाट मार्ग से ध्यानयोग मन्दिर तक मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण	0.650	21.58	18.20	0.05
11.	छिद्दरवाला में पोस्ट आफिस मार्ग से राष्ट्रीय राज मार्ग स0 72 पुलिया मार्ग एंव आन्तरिक मार्गो का सुधार कार्य	02.00	45.60	40.00	0.05
12.	वीरभद्र क्षेत्र में कृष्णानगर कालोनी में मार्ग का सुधार कार्य	01.50	34.20	30.00	0.05
13.	थानो भोगपुर मार्ग से तलाई ग्राम को जोड़ने हेतु मार्ग का निर्माण	02.00	50.60	40.00	0.05
14.	जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम प्रतीत नगर–रायवाला में सी0सी0 सड़क का निर्माण	0.500	19.08	17.53	0.05
15.	ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क का निर्माण	01.500	34.20	30.00	0.05
16.	जनपद देहरादून में ग्राम गुमानीवाला वार्ड नं0 2 में सड़क का उच्चीकरण तथा पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य।	02.00	74.00	74.00	0.05
17.	ग्राम सभा ऋषिकेश के अन्तर्गत शिवाजीनगर में शिव मन्दिर से घराट तक मार्ग का निर्माण	0.900	37.27	37.27	0.05
18.	जनपद देहरादून में ऋषिकेश शहर की आवास–विकास कालोनी में ऋषिकेश–पशुलोक बैराज (वीरभद्र मन्दिर) मार्ग से सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टरमीडिएट कालेज तक सी0सी0 मार्ग एंव नालियों का निर्माण	0.815	46.50	46.50	0.05

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
ऋषिकेश (देहरादून)

(15)

19.	गुमानीवाला ग्राम में बाईपास रोड से गुमानीवाला तक नहर के किनारे सड़क का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य	02.500	69.50	50.00	0.05
20.	घातक दुघर्टनाओं को रोकने हेतु श्यामपुर बाईपास मार्ग के श्यामपुर स्थित तिराहे का चौड़ीकरण एंव सुधार आदि का कार्य	-	36.32	31.86	0.05
21.	घातक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ऋषिकेश पशुलोक बैराज मार्ग के कोयल घाट तिराहे का चौड़ीकरण एंव सुधार आदि का कार्य	-	34.65	30.50	0.05
22.	जनपद देहरादून में हरिधाम कालोनी ऋषिकेश में मार्ग एंव नाली का निर्माण	0.500	40.28	40.28	0.05
23.	जनपद देहरादून में ग्राम गुमानीवाला वार्ड नं0 2 की आवासिय गलियों का सी0सी0 द्वारा निर्माण	01.50	77.00	77.00	0.05
24.	जनपद देहरादून में ग्राम गुमानीवाला में विभिन्न स्थानो पर सी0सी0 मार्ग एंव नाली का निर्माण	0.630	50.00	50.00	0.05
25.	भानियावाला विस्थापित क्षेत्र में अवशेष मार्गो का बी0एम0 एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधार कार्य	01.00	20.34	19.10	0.05
26.	ग्राम श्यामपुर से भल्लाफार्म नं0 8, 10 में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	01.50	34.20	30.00	0.05
27.	रानीपोखरी से नागाघेर होते हुए भागपुर तक मार्ग का सुधार कार्य	02.50	15.16	15.16	0.05
28.	ग्राम सभा बड़कोट न्याय पंचायत रानीपोखरी में घेल्ला–घम्मूलवाला–विश्नगढ तक मार्ग का निर्माण	02.50	57.00	50.00	0.05
29.	ग्राम पाववाला–सौडा विकास खण्ड रायपुर में मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य	02.00	45.60	40.00	0.05
	योग– सड़क निर्माण– सेतु निर्माण–	**57.495** 95 मीटर सेतु	**1976.61**	**1830.61**	**1.45**

(रुपये एक लाख पैंतालीस हजार मात्र)

Photo copy Atts ...

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
ऋषिकेश (देहरादून)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

15A

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:-- जनपद देहरादून मे ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क निर्माण हेतु 0[illegible]0 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2009 की है जिस पर वर्तमान में निर्माण कार्य सम्भव है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

29/8/14
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

duc sharda new folder manjeet pramanptra